

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग  
आदेश

सं० सं०-2/एल-04/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक: / / 2026

डा० प्रियंका, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिधिया, समस्तीपुर के द्वारा प्रथम संतान के प्रसव हेतु उपभोग की जाने वाली अवकाश अवधि दिनांक 09.02.2026 से 07.08.2026 तक कुल-180(एक सौ अस्सी) दिन को वित्त विभाग के पत्रांक-9889, दिनांक 01.12.2015 के आलोक मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाटक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-04/2026-

265 (2)

पटना, दिनांक 9/2/2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिधिया, समस्तीपुर/कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/डा० प्रियंका, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिधिया, समस्तीपुर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9ए, 9बी, 17 एव 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विनोद कुमार पाटक  
सरकार के उप सचिव